[राज्य सभा में पुरःस्थापित रूप में]

2021 का विधेयक संख्यांक 28

[दि डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

1961 का 47

धारा 2 का संशोधन ।

2. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) खंड (च) में,—

(क) उपखंड (viii) में, "सक्षम न्यायालय" शब्दों के स्थान पर, "सक्षम न्यायालय ; या" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ix) जिसके संबंध में धारा 18क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई निदेश, प्रतिषेध आदेश या स्कीम जारी की गई है या बनाई गई है ;";

(ii) खंड (चच) में,—

(क) उपखंड (viii) में, "किसी राज्य में" शब्दों के स्थान पर, "किसी राज्य में ; या" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ix) जिसके संबंध में धारा 18क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई निदेश, प्रतिषेध आदेश या स्कीम जारी की गई है या बनाई गई है ;";

धारा 15 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) में दूसरे परंतुक में "यह और कि" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि निगम अपनी वित्तीय स्थिति और संपूर्ण रूप में देश की बैंककारी प्रणाली के हितों को ध्यान में रखते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से, उस बैंक में निक्षेप की कुल रकम के प्रत्येक सौ रुपए के लिए प्रति वर्ष पूर्वोक्त पंद्रह पैसे की सीमा को समय-समय पर बढ़ा सकेगा :

परंतु यह भी कि" ।

नई धारा 18क का अंत:स्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 18 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

बीमाकृत बैंक के निक्षेपकर्ताओं को अंतरिम संदाय करने का निगम का दायित्व ।

"18क. (1) जब किसी बीमाकृत बैंक के संबंध में,—

(i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के किन्हीं उपबंधों के अधीन कोई निदेश जारी किया जाता है या कोई प्रतिषेध या आदेश या स्कीम बनाई जाती है ; और 1949 का 10

(ii) ऐसा निदेश, प्रतिषेध, आदेश या स्कीम ऐसे बैंक के निक्षेपकर्ताओं पर उनके निक्षेपों तक पहुंच करने के लिए निर्बंधनों का उपबंध करती है,

तब धारा 16 से धारा 18 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निगम, ऐसे निदेश, प्रतिषेध, आदेश या स्कीम के प्रभावी होने की तारीख को प्रत्येक ऐसे निक्षेपकर्ता को धारा 16 के अधीन निक्षेपकर्ता को निगम द्वारा संदेय रकम के समतुल्य रकम का संदाय करने के लिए दायी हो जाएगा ।

(2) उस तारीख, जिसको उपधारा (1) में निर्दिष्ट निदेश, प्रतिषेध, आदेश या स्कीम प्रभावी होते हैं, को बीमाकृत बैंक के प्रत्येक निक्षेपकर्ता के बकाया निक्षेप को उपदर्शित करते हुए एक सूची, ऐसे बीमाकृत बैंक द्वारा ऐसे प्रभावी होने की तारीख

से पैंतालीस दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप में और रीति में, जो निगम द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सही रूप में प्रमाणित की जाए, प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) निगम, उपधारा (2) के अधीन सूची की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, किसी आनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से, जहां तक संभव हो या ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाए, उसमें किए गए दावों की वास्तविकता और अधिप्रमाणिकता का सत्यापन करेगा और प्रत्येक निक्षेपकर्ता की बीमाकृत बैंक में उसके निक्षेप में से उसे देय रकम को प्राप्त करने की रजामंदी सुनिश्चित करेगा ।

(4) उपधारा (7) के उपबंधों के अधीन रहते हुए निगम, उपधारा (3) के अधीन सत्यापन के पूरा होने की तारीख से पन्द्रह दिन के अवसान से पूर्व निक्षेपकर्ताओं को, जिन्होंने उस उपधारा के अधीन अपनी रजामंदी की पुष्टि की है, उपधारा (1) के अधीन संदेय रकम का या तो प्रत्यक्षत: संदाय करेगा या उसे बीमाकृत बैंक के माध्यम से निक्षेपकर्ताओं के खाते में प्रत्यय करवाएगा :

परंतु उस तारीख, जिसको निगम निक्षेपकर्ताओं को संदाय करने के लिए दायी हो जाता है, से निक्षेपकर्ताओं को संदाय करने की तारीख के बीच की कुल कालावधि किसी भी दशा में उपधारा (7) के उपबंधों के अधीन रहते हुए नब्बे दिन से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि उस तारीख से, जिसको उपधारा (1) में निर्दिष्ट निदेश, प्रतिषेध, आदेश या स्कीम प्रभावी होते हैं तथा निक्षेपकर्ताओं को संदाय करने की तारीख के दौरान बीमाकृत बैंक द्वारा निक्षेपकर्ताओं को संदत्त किसी रकम को समुचित रूप से बीमाकृत बैंक द्वारा निक्षेपकर्ता के खाते में ऐसी रकम का प्रत्यय करने से पूर्व गणना में लिया जाएगा ।

(5) निक्षेप के संबंध में धारा 4 के अधीन निगम द्वारा संदत्त कोई रकम, इस प्रकार संदत्त रकम के परिमाण तक बीमाकृत बैंक को उस निक्षेप के संबंध में निक्षेपकर्ता के प्रति दायित्व से उन्मोचित करेगा, किंतु बीमाकृत बैंक, निगम द्वारा संदत्त रकम के संबंध में निगम के प्रति दायी हो जाएगा ।

(6) जब किसी बीमाकृत बैंक के संबंध में,—

1949 का 10 (i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के किसी भी उपबंध के अधीन बीमाकृत बैंक के कारबार को निलंबित करने का उपबंध करने वाला कोई निदेश, प्रतिषेध, आदेश या स्कीम, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रारंभ की तारीख को पहले से ही प्रवृत्त है ; और

(ii) ऐसा निदेश, प्रतिषेध, आदेश या स्कीम, बीमाकृत बैंक द्वारा उसके प्रत्येक निक्षेपकर्ता को संदत्त की जाने वाली रकमों पर निर्बंधनों का उपबंध करती है,

तब निगम, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रारंभ करने की तारीख से ही ऐसे बीमाकृत बैंक के प्रत्येक निक्षेपकर्ता को धारा 16 की

उपधारा (1) के अधीन निगम द्वारा निक्षेपकर्ता को संदेय रकम के समतुल्य रकम का संदाय करने का दायी हो जाएगा तथा इसमें उपधारा (2) से उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा की ऐसे संदाय के लिए उस तारीख से संगणना की जाएगी ।

(7) उपधारा (1) से उपधारा (6) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे मामलों में जहां,—

(क) रिजर्व बैंक, बीमाकृत बैंक की किसी अन्य बैंककारी संस्थान के साथ समामेलन की किसी स्कीम को या ऐसे बीमाकृत बैंक के संबंध में समझौता या ठहराव या पुनर्गठन की स्कीम को अंतिम रूप देने के हित में समीचीन समझता है और तदनुसार निगम को संसूचित करता है तो उस तारीख, जिसको निगम ऐसे बीमाकृत बैंक के प्रत्येक निक्षेपकर्ता को संदाय करने के लिए दायी हो जाएगा, का नब्बे दिन से अनधिक और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा ;

(ख) उपधारा (4) के अधीन निगम द्वारा निक्षेपकर्ताओं को संदाय करने से पूर्व किसी भी समय रिजर्व बैंक द्वारा निक्षेपकर्ताओं को संदाय पर निर्बंधनों को हटा दिया जाता है और बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक निक्षेपकर्ताओं को मांग किए जाने पर बिना किन्हीं निर्बंधनों के संदाय करने की स्थिति में है, तो निगम ऐसे बीमाकृत बैंक के निक्षेपकर्ताओं को संदाय करने का दायी नहीं होगा ।

धारा 19 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 19 में "धारा 18" शब्द और अंकों के पश्चात् "या धारा 18क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 20 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 20 में "धारा 18" शब्द और अंकों के पश्चात् "या धारा 18क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 21 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(i) उपधारा (1) में, "धारा 18" शब्द और अंकों के पश्चात् "या धारा 18क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) के खंड (ख) में "धारा 18 में निर्दिष्ट स्कीम" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 18क में निर्दिष्ट निदेश, प्रतिषेद्ध, आदेश या स्कीम" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) निगम उसे, यथास्थिति, बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक से देय पुनर्संदायों की प्राप्ति के लिए समय-सीमा को, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधनों पर, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अनुसार विनिश्चय किए जाएं, अस्थगित कर सकेगा या उसमें परिवर्तन कर सकेगा :

परंतु ऐसे विनियम निगम को पुनर्संदाय करने के लिए बैंक की क्षमता का पता लगाने के लिए और बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक द्वारा ऐसे समय तक जब तक निगम को पुनर्संदाय नहीं किया जाता, उन्मोचित किए जाने के लिए अन्य विनिर्दिष्ट वर्गों के दायित्वों को प्रतिषिद्ध करने के लिए प्रबुद्ध सिद्धांतों का उपबंध भी कर सकेंगे ।

(4) उपधारा (2) के अधीन विहित या उपधारा (3) के अधीन विस्तारित समयावधि से परे निगम को पुनर्संदाय में किसी विलंब की दशा में, निगम को पुनर्संदाय की जाने वाली रकम के लिए प्रति वर्ष रेपो दर से ऊपर अधिकतम दो प्रतिशत की दर से दांडिक ब्याज प्रभारित कर सकेगा और ऐसा दांडिक ब्याज उपधारा (2) के अधीन पुनर्संदाय की जाने वाली रकम के साथ समान पूर्विकता की श्रेणी में होगा ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 को निक्षेपों का बीमा करने और प्रत्यय सुविधा को प्रत्याभूत करने तथा उससे संबद्ध या आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (जिसे इसमें इसके पश्चात् निगम कहा गया है) सभी बैंक निक्षेपों का, जिसके अंतर्गत भारत में सभी बैंकों के बचत, आवधिक, चालू और आवर्ती जमा हैं, का बीमा करता है । बजट अभिभाषण 2020 की घोषणा के अनुसरण में निगम को किसी निक्षेपकर्ता के लिए प्रति बैंक प्रति निक्षेपकर्ता एक लाख रुपए से पांच लाख रुपए तक निक्षेप बीमा कवर बढ़ाने के लिए अनुज्ञात किया गया था, ताकि बैंकों में निक्षेपकर्ताओं को अधिक संरक्षा के उपाय का उपबंध किया जा सके ।

3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उचित विनियमन को और सुदृढ़ करने के लिए तथा सभी बैंकों का पर्याप्त पर्यवेक्षण करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 को बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 39) द्वारा संशोधित किया गया था । यद्यपि, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सरकार सभी बैंकों की आर्थिक स्थिति की मानीटरी करते हैं । फिर भी हाल ही में बैंकों विशेषकर सहकारी बैंकों के अनेक मामले हुए हैं, जिनमें वह निक्षेपकर्ताओं के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिस्थगन अधिरोपित करने के कारण अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं । सतत चिंता का कारण यह है कि किसी बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिस्थगन सहित अनेक निर्बंधन अधिरोपित किए जाते हैं तो वास्तविक निक्षेपकर्ता निक्षेप बीमा होने के बावजूद अपने निक्षेपों तक पहुंचने में गंभीर कठिनाई का सामना करते हैं और ऐसा विस्तारित समय तक जारी रह सकता है ।

4. इसलिए, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 को संशोधित करने की आवश्यकता है, जिससे निक्षेपकर्ताओं को, यहां तक कि जब बैंकों पर निर्बंधन हों, उनकी स्वयं की धनराशि तक सरल और समयबद्ध पहुंच बनाने में समर्थ बनाया जा सके । यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि यहां तक कि जब कोई बैंक अस्थायी रूप से उस पर अधिरोपित अधिस्थगन जैसे निर्बंधनों के कारण अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में असमर्थ हों तो भी निक्षेपकर्ता निगम द्वारा अंतरिम संदायों के माध्यम से निक्षेप बीमा कवर के परिमाण तक अपने निक्षेपों तक पहुंच कर सकें ।

5. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021, अन्य बातों के साथ,—

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से प्रीमियम की रकम की ऊपरी सीमा को बढ़ाने के लिए निगम को समर्थ बनाने हेतु धारा 15 का संशोधन करने के लिए है ;

(ख) नई धारा 18क को अंत:स्थापित करने के लिए है, जिससे निगम

द्वारा निक्षेपकर्ताओं को उन बैंकों में अंतरिम संदाय करने में समर्थ बनाया जा सके, जिनके लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के किन्हीं उपबंधों के अधीन बैंकों में निक्षेपकर्ताओं पर उनके निक्षेपों तक पहुंच अधिरोपित करने के लिए कोई निदेश या प्रतिषेध या आदेश या स्कीम जारी की गई है ;

(ग) धारा 21 में नई उपधारा (3) और उपधारा (4) अंत:स्थापित करके उसका संशोधन करने के लिए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निगम बीमाकृत बैंक द्वारा उसे देय पुनर्संदाय की प्राप्ति को आस्थगित कर सके या उसमें फेरफार कर सके और बैंकों द्वारा निगम को पुनर्संदाय में विलंब की दशा में निगम को दांडिक ब्याज प्रभारित करने के लिए समर्थ किया जा सके ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
28 जुलाई, 2021.

निर्मला सीतारामन

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबंध में भारत की संचित निधि से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 7, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 21 की नई उपधारा (3) को अंत:स्थापित करने के लिए है, जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में विनिमय बनाने के लिए बोर्ड को सशक्त करने के लिए है (i) ऐसी अवधि, जिसके लिए और ऐसी शर्तें, जिन पर निगम के कारण पुन:संदाय की प्राप्ति के लिए समय सीमा को आस्थगित कर सकेगा या उसमें फेरफार कर सकेगा ; और (ii) निगम को पुनर्संदाय करने के लिए किसी बीमाकृत बैंक की समर्थता का पता लगाने के लिए और बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक द्वारा ऐसे समय तक, जब तक निगम को पुनर्संदाय नहीं किया जाता, निर्मोचित किए जाने के लिए अन्य विनिर्दिष्ट वर्गों के उत्तरदायित्वों को प्रतिषिद्ध करने के लिए प्रबुद्ध सिद्धांतों का उपबंध करने के लिए है ।

वे विषय जिनके संबंध में विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय है और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अत: विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्यांक 47) से उद्धरण

*   *   *   *   *

परिभाषाएं । 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

*   *   *   *   *

(च) "निष्क्रिय बैंककारी कम्पनी" से ऐसी बैंककारी कम्पनी अभिप्रेत है,—

*   *   *   *   *

(viii) जिसकी बाबत, उसके कार्यकलापों के परिसमापन के लिए कोई आवेदन किसी सक्षम न्यायालय में लम्बित है ;

(चच) "निष्क्रिय सहकारी बैंक" से ऐसा सहकारी बैंक अभिप्रेत है,—

*   *   *   *   *

(viii) जिसकी बाबत परिसमापन के लिए आवेदन किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों संबंधी किसी विधि के अधीन सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार या अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है ;

*   *   *   *   *

प्रीमियम । 15. (1) प्रत्येक बीमाकृत बैंक जब तक रजिस्ट्रीकृत रहता है अपने निक्षेपों पर इतनी दर या दरों से जितनी रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से बीमाकृत बैंकों को निगम द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं, निगम को प्रीमियम का संदाय करने के दायित्वाधीन होगा और विभिन्न प्रवर्गों के बीमाकृत बैंकों के लिए विभिन्न दरें अधिसूचित की जा सकेंगी :

परन्तु किसी बीमाकृत बैंक द्वारा किसी अवधि के लिए संदेय प्रीमियम उस अवधि के अन्त में, अथवा यदि उस अवधि के दौरान उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है तो उसके रद्द किए जाने की तारीख को, उस बैंक में निक्षेपों की कुल रकम के प्रत्येक एक सौ रुपए के लिए पन्द्रह नए पैसे प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि जहां किसी बीमाकृत बैंक का रजिस्ट्रीकरण धारा 13 या धारा 13ग के अधीन रद्द कर दिया गया है वहां इस प्रकार रद्द किए जाने से, उस बैंक के ऐसे रद्द किए जाने से पूर्व की अवधि के लिए प्रीमियम के, तथा इस धारा के उपबंधों के अधीन देय किसी ब्याज के, संदाय के दायित्व पर प्रभाव नहीं पडेगा।

*   *   *   *   *

निगम के दायित्व का उन्मोचन । 19. किसी निक्षेप की बाबत धारा 17 या धारा 18 के अधीन निगम द्वारा संदत्त की गई कोई रकम, उस संदत्त रकम की सीमा तक, उस निक्षेप की बाबत निगम को उसके दायित्व से उन्मोचित कर देगी ।

असंदत्त रकमों के लिए उपबन्ध । 20. जहां कोई निक्षेपकर्ता, जिसे धारा 17 या धारा 18 के उपबन्धों के अनुसार कोई संदाय किया जाना है, पाया नहीं जा सकता या उसका आसानी से पता नहीं

लगाया जा सकता, वहां ऐसे संदाय के लिए निगम द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी और ऐसी व्यवस्था सम्बन्धी रकम उसकी पुस्तकों में पृथक्तः दिखाई जाएगी ।

21. (1) जहां धारा 17 या धारा 18 के अधीन कोई रकम संदत्त की गई है या धारा 20 के अधीन उसके लिए कोई व्यवस्था की गई है, वहां निगम, यथास्थिति, समापक या बीमाकृत बैंक या अन्तरिती बैंक को, उन रकमों की बाबत जानकारी देगा, जो इस प्रकार संदत्त की गई है या जिनके लिए इस प्रकार व्यवस्था की गई है । निगम को रकम का प्रतिसंदाय ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी यह है कि उपधारा (1) के अधीन जानकारी प्राप्त होने पर,—

*　　*　　*　　*　　*

(ख) बीमाकृत बैंक या, यथास्थिति, अन्तरिति बैंक इतने समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, धारा 18 में निर्दिष्ट स्कीम के प्रवृत्त होने की तारीख के पश्चात् किसी निक्षेप की बाबत संदत्त या जमा की जाने वाली रकम में से, यदि कोई हो, निगम को इतनी राशिया राशियों का प्रतिसंदाय करेगा, जितनी से वह रकम पूरी हो जाए, जिसका संदाय या जिसके लिए उपबन्ध निगम ने उस निक्षेप के संबंध में किया हो ।

*　　*　　*　　*　　*

MGIPMRND—497RS(CRC)—28.7.2021